



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

SEIAA/2022

No: 10681
Date: 14/7/22

प्रति,

1. संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश,
29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)।
2. कलेक्टर,
जिला - राजगढ़ (म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्रमांक 7555/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री जिंदल अर्थ माईनस, पार्टनर नव्य जिंदल आत्मज श्री अमित जिंदल, निवासी 55, दशहरा मैदान, उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 347, रकबा 1.460 हेक्टेयर, ग्राम पिंगलेश्वर, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत 1/2/1/1, 31/2/1/2, ग्राम बरौदी, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 के निर्णय उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 735वीं बैठक दिनांक 11.06.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित व्दसपदम प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज Online ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। SEAC द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी Offline प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेजों को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर Online ही प्राप्त की जाये एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को SEAC को पुनः अग्रेषित किया जाता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। चूंकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात प्रकरणों को SEIAA को प्रेषित किया जाये।

उपरोक्त संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforceemnt and Monitoring Guideline for Sand 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु 01 माह में प्रेषित की जाये। तदनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं संबंधित परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाय

उपरोक्त निर्णय के परिपालन मे आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित।

o/c
(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव 7.2

क्र. 1069
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2022 भोपाल

दिनांक 14/7/22

श्री जिंदल अर्थ माईनस, पार्टनर नव्य जिंदल आत्मज श्री अमित जिंदल, निवासी 55, दशहरा मैदान, उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.),

o/c
सदस्य सचिव 5.7.22